सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 22, मंगलवार, शाके 1942- मई 12, 2020	
Vaisakha 22, Tuesday , Saka 1942- May 12, 2020	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 06, 2018

जी;एस.आर.117 :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 17 का संशोधन:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 17 के उप-नियम (1) के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन रहते हुए, चैबीस मास तक की कालावधि के लिए, और प्रत्येक मामले में बारह लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक परामर्शी या वृत्तिक की सेवाएं भाड़े पर लेना आवश्यक हो; या"।

3. नियम 40 का संशोधन:- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"40. उपापन प्रक्रिया के लिए समय-सीमा:- (1) एकल प्रक्रम बोली के लिए समय-सीमा निम्नानुसार होगी:-

सारणी

क्र सं	उपापन के प्रक्रम	उपापन पद्धति	
		खुली प्रतियोगी बोली	सीमित बोली और एकल स्रोत उपापन
1	2	3	4
1.	बोली दस्तावेजों का जारी करना	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिन से-	-
2.	बोली प्रस्तुत करना	(i) बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से तीस दिन, यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक है और	बोली दस्तावेजों के जारी करने/ स्पष्टीकरण/ युक्तिका के जारी करने की तारीख से सात दिन।

		बीस दिन, यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये तक है (ii) जहां स्पष्टीकरण/युक्तिका जारी की जाये वहां स्पष्टीकरण/युक्तिका जारी करने की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन, यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक है और दस दिन, यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये तक है ; (iii) अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली प्रस्तुत करने की कालावधि बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन और स्पष्टीकरण/युक्तिका के जारी करने की तारीख से कम से कम बीस दिन होगी।	
3.	तकनीकी बोली खोलना	बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के एक दिन के भीतर।	बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के एक दिन के भीतर।
4.	अधिनिर्णय का पत्र जारी करना	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के तीन दिन के भीतर।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के तीन दिन के भीतर।
5.	संविदा करार का निष्पादन	अधिनिर्णय का पत्र जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा-विनिर्दिष्ट कालावधि में।	अधिनिर्णय का पत्र जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा-विनिर्दिष्ट कालावधि में।
6.	राज्य लोक उपापन पोर्टल और उपापन संस्था की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर बोली परिणामों की घोषणा	स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिन के भीतर।	स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिन के भीतर।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, बोली प्रक्रिया की ऊपर उल्लिखित समय-सीमा को शिथिल कर सकेगी।

(2) उपापन प्रक्रिया में आमंत्रित बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर विनिश्चय जहां दो लिफाफों की पद्धति का अनुसरण किया जाता है, तकनीकी बोली के खुलने की तारीख से, अन्यथा वित्तीय बोली के खुलने की तारीख से, नीचे दी गयी कालावधि के भीतर सक्षम मंजूरी प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा, यद्यपि विधिमान्यता की कालावधि अधिक हो सकती है। यदि संबंधित मंजूरी प्राधिकारी द्वारा दी गयी समयावधि के भीतर विनिश्चय नहीं किया जाता है तो सक्षम मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अपना विनिश्चय लेते समय, दी गयी समयावधि के भीतर विनिश्चय नहीं लेने के कारण विनिर्दिष्ट रूप से अभिलिखित किये जायेंगे।

सारणी

सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोलियों पर विनिश्चय के लिए समय अनुसूची

क्र. सं.	विनिश्चय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी	विनिश्चय के लिए अनुज्ञात समय
1	2	3
1	कार्यालयाध्यक्ष या अधिशासी अभियन्ता	बीस दिन
2.	क्षेत्रीय अधिकारी या अधीक्षण अभियन्ता	तीस दिन
3.	विभागाध्यक्ष या मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	चालीस दिन
4.	संबंधित प्रशासनिक विभाग/ वित्त समिति/बोर्ड/सशक्त समिति/सशक्त बोर्ड, इत्यादि	पचास दिन

टिप्पण: (1) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कालावधि में बोली की स्वीकृति की संसूचना में लिया गया समय सम्मिलित होगा।

(2) यदि उपापन संस्था राज्य सरकार के विभागों या इनसे सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों से भिन्न है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग बोली पर विनिश्चय लेने के लिए समकक्ष सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा।"।

4. नियम 42 का संशोधनः- उक्त नियमों के नियम 42 के विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) निम्नलिखित से बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी,-

(i) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग/बोर्ड ;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी ;

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन होगी ; या

(iv) स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित या स्वामित्वाधीन हैं।"।

से ली जायेगी।"।

5. नियम 43 का संशोधनः- उक्त नियमों के नियम 43 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(6) समाचारपत्रों और नोटिस बोर्डो में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में माल के प्रदाय या सेवा उपलब्ध कराने के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगा:-

सारणी

माल और सेवाओं के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियां

क्र	उपापन का प्राक्कलित	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के	प्रचार की रीति

सं.	मूल्य	प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	
1	2	3	4
1.	दस लाख रुपये तक	सात दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक क्षेत्रीय दैनिक समाचारपत्र।
2.	दस लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक	दस दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र। (iii) पचास हजार और उससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचारपत्र।
3.	एक करोड़ रुपये से अधिक	बीस दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) पचास हजार और उससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचारपत्र। (iii)वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रुपये तक है तो स्वयं और यदि उपापन का मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से, बोली प्रस्तुत करने और बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन की ऊपर उल्लिखित कालावधि को शिथिल कर सकेगी।";

(ii) विद्यमान उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(7) समाचारपत्रों और नोटिस बोर्डो में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में संकर्मों के निष्पादन हेतु बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगा:-

सारणी

संकर्मों के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियां

क्र. सं.	उपाप्त किये जाने वाले संकर्म का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	2	3	4
1.	दस लाख रुपये तक	सात दिन	(i) उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड, और (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचारपत्र।
2.	दस लाख रुपये से अधिक और दो करोड़ रुपये तक	दस दिन	(i) उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड, और (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचारपत्र और पचास हजार या इससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचारपत्र।
3.	दो करोड़ से अधिक और पचास करोड़ रुपये तक	बीस दिन	(i) उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र और पचास हजार या इससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचारपत्र , और (iii) वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी

			दैनिक समाचारपत्र
4.	पचास करोड़ रुपये से अधिक	तीस दिन	(i) उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचारपत्र और पचास हजार या इससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचारपत्र, और (iii) वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रूपये तक है तो स्वयं और यदि उपापन का मूल्य 50 करोड़ रूपये से अधिक है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से, बोली प्रस्तुत करने और बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन की ऊपर उल्लिखित कालावधि को शिथिल कर सकेगी।" ; और

(iii) विद्यमान उप-नियम (10) हटाया जायेगा।

6. नियम 68 का संशोधनः- उक्त नियमों के नियम 68 के विद्यमान उप-नियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) बोली मूल्यांकन समिति, समिति के लेखा/वित्त सदस्य के विचार को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करते हुए, उपापन संस्था के अनुमोदन के लिए तर्कसंगत टिप्पण तैयार करेगी।

(3) किसी उपापन मामले को विनिश्चित करने में सक्षम उपापन संस्था, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगी कि क्या एकल बोली को मंजूर कर लिया जाये या बोलियां पुनः आमंत्रित की जायें।

7. नियम 75 का संशोधनः- उक्त नियमों के नियम 75 के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) निम्नलिखित के सिवाय, समस्त सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना ली जायेगी,-

(i) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग/बोर्ड ;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनियां ;

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन हो; या

(iv) स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो।

तथापि, उनसे एक कार्य संपादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य संपादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।"।

[एफ.2(1)एफ.डी./जी एण्ड टी/एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से

मंजू राजपाल,

शासन सचिव

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 6 ,2018

जी.एस.आर.118:-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफडी/जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- विद्यमान क्रम संख्यांक 38 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

38.	किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग, बोर्ड, या सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी, जो कंपनी	किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग/बोर्ड, या सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी जो कंपनी	

	अधिनियम, 2013 की की धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हो या स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण या प्रबंध में हो, द्वारा उत्पादित या विनिर्मित कोई भी माल या उपलब्ध करवायी गयी कोई भी विशिष्ट सेवा।	अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हों या स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण या प्रबंध में हों, जो उपापन की विषय वस्तु उत्पादित या विनिर्मित कराती हैं या विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।	

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 39 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

39.	मोटर यानों का क्रय	• डी.जी.एस.एण्ड डी. दर संविदा धारक फर्मों से • यदि क्रय के समय डी.जी.एस. एण्ड डी. दर संविदा विद्यमान नहीं है तो उपापन प्राधिकृत व्यवहारी से किया जायेगा।	मोटर यान के मेक और माडल का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा उसकी नीति के अनुसार किया जायेगा और मोटर यानों (विद्युत् मोटर यान को सम्मिलित करते हुए) का क्रय, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर नियत दरों और निबंधनों और शर्तों पर किया जायेगा।

”

(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 42 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

42	मोटर यानों का किराये पर लिया जाना	वित्त विभाग द्वारा नियत पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले	वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर नियत दरों और निबंधनों और शर्तों पर मोटर यानों (विद्युत्

		किसी भी स्रोत से	मोटर यान को सम्मिलित करते हुए), को भाड़े पर लिया जाना।

";

और

(iv) सामान्य शर्तों की विद्यमान शर्त 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4. यदि, माल या संकर्म का उपापन, सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन है या स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां, जो राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन नियंत्रित या प्रबंधित से भिन्न हैं, से किया जाना है, तब उपापन से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा।"

एफ.2(1)एफ.डी./एसपीएफसी/2017

राज्यपाल के आदेश से

मंजू राजपाल,

शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।